राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 4-11-99

आदेश

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) एवं उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास(कार्यक्रम) वृत, सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल विभाग (कोटा) (जिसमें इसके खण्ड और उप-खण्ड भी सम्मिलित है), जलदाय, आयुर्वेद और वन विभाग (विभागीय कार्यवृत को छोड़कर) के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की कार्य-प्रभारण सेवा के दौरान हुई मृत्यु पर उनके आश्रितों की भर्ती ।

राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि इस विभाग की इसी संख्या की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.12.96 द्वारा जारी किये गये राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) एवं उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत, सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल विभाग (कोटा) (जिसमें इसके खण्ड और उप-खण्ड भी सम्मिलित है), जलदाय, आयुर्वेद और वन विभाग (विभागीय कार्यवृत को छोड़कर) के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के आश्रितों पर उनकी नियुक्ति के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(एस0एन0 शर्मा)
उप शासन सचिव

पृ. चं. 991105/